



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 10 मार्च, 2025 / 19 फाल्गुन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT SHIMLA,

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2025

Endst. No. FDS-SML-7-15/99-LPG Rate-VXII-11495-11571.—In supersession of Notification No. FDS-SML-7/15/99/8415-8502, dated 28-08-2021 issued by this office and in 262—राजपत्र / 2025—10—03—2025 (13887)

exercise of the powers conferred upon me *vide* clause 9(e) of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) order 2000 and clause 3(1)(e) of Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977. I, (Anupam Kashyap) I.A.S., District Magistrate, Shimla, District Shimla do hereby fix the Extra transportation/ Labour charges per cylinder for domestic cylinder of (10 Kg. and 14.2 Kg.) as under in respect of various Gas Agencies functioning in District Shimla :—

Sl. No.	Name of Gas Agency	Name of focal points	Additional Labour / Transportation Charges per Cylinder (10 Kg)	Additional Labour / Transportation Charges per Cylinder (14.2 Kg)	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	Shiva Gas Service Shimla	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Home Delivery Mehli	28.00	55.00	Door Step Delivery
		4. Focal Point Mehli, Rajhana	14.00	28.00	Focal Point
		5. Junga, Pujarli	17.00	33.00	Focal Point
		6. Dharech, Kohbag, Cheog.	19.00	38.00	Focal Point
		7. Door Delivery (Mother Point) Rajhana.	18.00	35.00	Door Step Delivery
2.	Vineet Gas Agency, Lakkar Bazaar, Shimla.	1. MC Area Shimla Home Delivery, Door Delivery (Mother Point) Village Badesh, Padechi (with in the radius of 200 Meters).	28.00	55.00	Door Step Delivery
		Door Delivery (Mother Point) Village Bakhari, Shanan, Pagog (with in the radius of 200 Meters).	18.00	35.00	Door Step Delivery
		2. Poabo, Dumi, Kakkar-Bangora, Pagog, Bukhari, Lower Bhont, Ragyan, Dudhli, Kamyana, Badesh, Shanan, Prechi, Paneya, Village Golcha,	14.00	28.00	Focal Point
		3. Chedi, Kiar Koti, Ghanahatti, Solah Meel (16 Meel), Kiar Koti to Neri.	17.00	33.00	Focal Point
		4. Dhami	19.00	38.00	Focal Point
		5. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
3.	M.S. Durga Gas Agency, Sanjauli Shimla.	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
4.	M.S. Himalya gas Co. Cart Road Shimla.	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
5.	M.S. Best Gas Service the Mall Shimla.	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Ghanahatti, Banooti, Heera Nagar, Jubbarhatti, Shoghi, Bycheri, Shamlaghat, Kanda.	14.00	28.00	Focal Point
		3. Dhami, Kohbag, Kufri, Junga,	17.00	33.00	Focal Point
		4. Nalag, Banish, Bhajyar, Pipli Dhar, Pahal,	19.00	38.00	Focal Point
		5. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
6.	M.S. Aarti gas agency Boileauganj.	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point

		3. Jubberhatti, Jathia devi, Ghanahatti, Kufriidhar, Bychari, Rampuri, Seri, Panesh, Phagera, Kanda, Shamlaghat, Tara Devi, Shaich, Shoghi, Haridevi, Charund, Shakrah, Chially, Bashog, Barog, Bawan.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Kalihatti, Naalhatti, Sayri, Charonhi, Jabri, Mandari, Dhami, Janol, Kuftu. Dharkuffer.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Neri, Badai, Chewla, Karyachi, Banish, Bhajyar to Tapakari, Kufri, Pipli Dhar, Paughat.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Okhroo.	23.00	46.00	Focal Point
		7. Door Delivery Ghanahatti Bazaar (NH-205) with in the radius of 200 Meters from Ghanahatti Bazaar NH 205 Door Delivery Charges will be in addition to focal point rates approved for Ghanahatti.	20.00	40.00	Door Step Delivery
7.	MS. Uattm Gas Agency, New Shimla.	1. MC Area Shimla Home Delivery	28.00	55.00	Door Step Delivery
		2. Home delivery Mehli	28.00	55.00	Door Step Delivery
		3. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		4. Patti, Baragaon, Rajhana, Beolia, Ghillu (Gas Godown) to Kawara via Shyar.	14.00	28.00	Focal Point
		5. Door Delivery (Mother Point) Patti, Baragaon, Rajhana, Beolia, Ghillu, Kawara, Shyar.	18.00	35.00	Focal Point
8.	M.S. Abhinav Indane Gramin Viterak, Kiterwari, Dodra Kawar.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Kiterwari, Dhanderwari	8.00	15.00	Focal Point
		4. Gaon Pujarli	11.00	22.00	Focal Point
		5. Dodra, Kiterwari to Jiskoon	15.00	30.00	Focal Point
		6. Larot	18.00	35.00	Focal Point
		7. Shiladesh, Tikri	18.00	35.00	Focal Point
		8. Dhamwari, Kharshali, Rami, Sandasu, Pujarli,	18.00	35.00	Focal Point
		9. Khashdhar, Bhampad, Chilala, Dugiyani, Khabal, Gaonsari, Hauchali.	23.00	46.00	Focal Point
		10. Sandasli.	23.00	46.00	Focal Point
9.	HPSCSC Nankhari Gas Agency	1. Kungalbalti, Jawalda, Addu, Thua, Panail, Chevdi, Gahan, Nankheri, Punan, Shakla, Barog, Chari, Shila.	14.00	28.00	Focal Point
		2. Khamadi, Chamada, Kholi- ghat, Badhach, Brog, Nagadhar, Tharu, Khunni, Delath, Khadan, Khanog, Thalichakti, Jaidhar, Karoli, Chamada and Dhanuja.	17.00	33.00	Focal Point
		3. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		4. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		5. Chalan.	19.00	38.00	Focal Point
10.	H.P.S.C.S.C. Gas Agency, Kumarsain	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Lathi, Nahal, Zar, Tipri, Pharal, Gheti	14.00	28.00	Focal Point

		(Lower Gheti) Rahu, Gharewati, Darog, Badogi, Dethal, Jogsha, Barogi, K/dhar, Jabli, Challan, Mandholi, Batawara, Bai, Kingal, Aroth, Village Shanand.			
		4. Gunthla, Bhareli, Kathin, Speela, Jhamol, Baragaon, Bargal, Sarahan, Chimra, Bhanana, Kirti, Nanja, Gharal, Sainj, Kepu, Bithal, Rewali	17.00	33.00	Focal Point
		5. Kui, Malindi, P/Nagar, Shalota, Gallani, Pauchi, Sawana, Kanda, Chamola, Sawarakhad, Village Kangal via Ahar.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Shiwan, Pattijubbal, Kachinghati, Dhantudhar, Bhareog, Janjelli, Prashan, Teshan, Sanawagi, Jhunjhan, Ahar	23.00	46.00	Focal Point
		7. Thathal Nala	27.00	54.00	Focal Point
		8. Mogra, Kotighat, Kangal	31.00	62.00	Focal Point
11.	HPSCSC Gas Agency, Narkanda	1. Door Delivery (Mother Point) NAC	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Kholighat, Gahan, Peojan, Kufri, Krewathi, Shilaroo, Manan, Iaiyana, Oddi, Kacheir, Madhwani, Kanachar, Aldbaza, Jimmu, Kandyali, Firno, Kanthru, Charan, Kanrot, Galanghantti, Daro, Jarol, Tikkar, Doza, Nihari, Karalti, Banshera (Baklah) Suld, Jarol, Patwar Khanna, Jadoon, Bhawaninagar (Chaggi farm), Upper Gandhinagar.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Bhutti, Bhau, Kotidhar, Premnagar, Kanchainghati, Khaneti, Batari, Baghi, Kotkalimandir, Adiyala, Ratnari, Ghadon, Bakhrala, Jahoo, Panoli, Khuni, Shagoti, Galoon Kainchi, Dunidhar, Sundernagar, Kufri, Khalouch.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Kiara, Jimmunala, Khalot, Reog, jal, Beel, Rektu, Raog, Kadiwan, Bhargon, Shayamnagar, Kharahan, Kotadhar, Bhamnoli, Gadoli Kenchi, Dharja, Barot, Takrodhi, Bagivi, Bhagoli, Darshoti, Bagnali, Kharela.	19.00	38.00	Focal Point
12.	HPSCSC Gas Agency Rohru.	1. Door Delivery (Mother Point) NAC	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Pujarli - 4, Karasa, Mandharli, Koti, Tiludhar, Jhagtali, Tandali, Shallan, Chevri, Seo, Samoli, Parsa, Chiuni, Lower Koti, Chupari, Kyarku, Shekhal, Narpa, Mundewri, Munchhara, Sainji, Rantari, Bartu, Madidhar, Batari, Arhal, Bashla, Kansakoti, Thamtari, Karlesh, Barara, Sharog, Mehandli, Patsari, Seema, Samoli, Bhamnoli, Summerkkot, Machothi, Jaghothi, Burthara, Kanvera, Bhamnala, Dalgoan, Khorsu, Kuthara, Bashtadi,	14.00	28.00	Focal Point

		Tikkari, Shalvat, Jakha, Padhanala, Marhali, Dhanwana, Chapoti, Saras, Khangteri, Baral, Jharag, Matasa, Sarikainchi, Panu Thayantu, Lajori, HPSCSC Gas Agency Godown Podhar (Mehandali) to Shalash, Arshata.			
		4. Sheelghat, Ganganagar, Melthi, Sharuntha, Karchari, Baral, Jharagh, Maths, Sarikainchi, Shrontha (Bus Stand), Bhaidhar, Badshalpool, Kharla, Naksetli, Dharikupar, Saraindhar, Jagterli, Deoli, Hanstari, Tikkaer, Daroti, Gujandali, Pujarah, Narain, Madhidar, Baloonkanchi, Nasari, Kewali, Tutupani, Khadarla, HPSCSC Gas Agency Godown Podhar (Mehandali) To Kadiwan.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Fharog, Ghasani,	23.00	46.00	Focal Point
		6. Kuthari, Deorighat, Umladwar,	27.00	54.00	Focal Point
		7. Sari Chandigrah, Pujarli 3, Ghassni Khalgar, Khadarala, Khangatri, Bajeshal, Sungri, Nassari,	33.00	65.00	Focal Point
13.	HPSCSC GAS AGENCY, Sunni	1. Door Delivery (Mother Point) NAC	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	10.00	12.00	Focal Point
		3. NADUKHAR, KADOG, LUNSU, KHAIRA, THALI, JERVI, SHAKRA, MUNGNA, SAROR, MAHOTA, REOG, DADHEOG, NOTIKHAD, GUMMA, SHAKRORI, CHABA, MUNGNA, GHARYANA, TATAPANI, RANDOL, SABHOT, JUNI, JAMOG, THOGI, BASANTPUR, MANDYALU, PANCHRA., Nadukhar to Ambri.	14.00	28.00	Focal Point
		4. KANGRI, SAHAJ, SAVIDHAR, JASSAL, OGLI, JAMNU, SHEOG, KALANGAR, BEHLI, SOJHA, KINDER, BALI, HARABOI, ANU, MADHORGHAT, BAGIPUL, THACHI, BAJHOL, SHAROG, KOTLA, SERI, MANDRI, NAGGAR, JAJEHAR, KADHARGHAT, GHARATNALA, BHARARA, JAISHI, HARABOI, GARLA, DISHTI, DARGI, SOHAL, JAGHEDI, AEOG, NALAVAN, AEOG, Sunni Gas Agency to Mannar(Charain, Jagyaldu, Manju, Kui and Kanda).	17.00	33.00	Focal Point
		5. PANOHI, KATAL, MACHRYANA, JAMMUNALA, GHATRU, DOGHARI, KARLA, BANDLI, GADACH, BATHORA, PANDOA, JALOG, KARYALI, SHARA NALAH, DUMEHAR, GARKAHAN, DHAAR, BADMAIN, GHAINI, NEEN, BEHAL, DAHAR, JUBBAR, DURGAPUR, NALDEHRA, BALDEYAN, DEOTHI,	19.00	38.00	Focal Point
		6. DHAROGRA, BAAG, SHELTI, KHATNOL, SHADI, KANHOLA, DHUNDHAN, GADHERI, HIMRI, Barity,	23.00	46.00	Focal Point
14.	M/S. Hill Top Indane Gramin Vitrak, Koti.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	10.00	12.00	Focal Point
		3. Janedghat, Junga, Bharch, Satlai,	14.00	28.00	Focal Point

		Bagkotla, Thund, Koti Range Office, Shilonbag, Mundaghat, Kotidhar, Koti to Seri, Koti to Dharbhog, Koti to Sari, Koti Gas Agency to Old Junga.			
		4. Tri, Koti Gas Agency to Bawara via Chhallanda,	17.00	33.00	Focal Point
		5. Piran, Dubloo, Nariga Bridge via Chhallanda and via Khaltu.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Lakhoti	23.00	46.00	Focal Point
15.	HPSCSC Rampur.	1. Door Delivery (Mother Point) NAC	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Shingla, Ropru, Odda, Thanti, Urru, Besri, Makroli, Tenseri & Neerath, Jhakri.Racholi, Powerhouse Nogli, Nirsu, Duttanagar, Badrash .	14.00	28.00	Focal Point
		4. Shaneri, Bithal, Bashada,, Dobi, Jhakri, Landiess, Kharkag, Ratanpur, Dansa, Panoli, Lalsa, Jaguni, Kartot, Shikhardhar, Maghara, Makrola, Gaso, Sharfsht, Basahra,Gaura,	17.00	33.00	Focal Point
		5. Ucchi, Shah, Majheoli, Dofda, Kotla. Mashnu, Badhal, Bathara,Jerori.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Manguni, Bonda,, Kinnu, Gharat, Kiyao & Daran Ghati, Dharla,	23.00	46.00	Focal Point
		7. Baghawat, Manjhgaon, Sarahan Bsr. Shahdhar, Dheu, Rangori, Kurgu.	27.00	54.00	Focal Point
15-20 Area (Rampur)					
		1. Ganvi, Labana-Sadana	25.00	49.00	Focal Point
		2. Sarpara, Kaobil, Phancha, Jaghori	29.00	57.00	Focal Point
		3. Kiao, Koot	33.00	65.00	Focal Point
16.	HPSCSC Theog	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown.	7.00	12.00	Focal Point
		3. Bagaghat, Nangal Devi, Devi mor, Sarion, Jais, Bhalech, Sandhu, Fagu, Chailla, Lambi Dhar, Matiana, Sarog, Chikhar Pump House via Forest Colony, Gawahi, Manal,	14.00	28.00	Focal Point
		4. Tikri, Kelvi, Cheog, Basa Mahog, Dharech, Barog, Bhuin, Matiana, Barog to Alwah, Tikkeri to Shargal, Bhot and Bila.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Patinal, Rajanamhog, Dhali, Malog, ,Bagain, Shaloo, Shadyana, Majhar, Gawaich, Daleu,Tiyali Mahori, Sharma, Dharpur, Tikkar to Dhunkhar, Shaloo to Dhunkhar, Hulli to via Sobal, Deothi, Ulvi, Charail, Damyana, Dasana, Gadyana to Banahal, Kalahar, Dhunkar Bhambi (Lower Khaloth via Shalowa Tikker).	19.00	38.00	Focal Point
		6. Chamrot, Kiar, Guthan, Dhar, Ghoond, Tikkar, Satog, Manla, Kot, Sai, Kandru, Nag, Jubber, Bharana, Karana, Bhaj, Panoli, Dharjoli Dhar, Dhamandri, Jadeog, Kiartu, Naal, Badu, Banari, Saunthal, Shateyan, Kiartoo to Bagoti, Jadyog to Gawai,	23.00	46.00	Focal Point

		Shadi to Chamrot Charai, Samber.			
		7. Samber, Jarai, Manlog, Satog, Kishore.	27.00	54.00	Focal Point
17.	HPSCSC Chopal	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Khirki, Dhurla, Dewat, Jhiknipul, Dhabas, Dimo, Kairi Nala, Majhotali, Thanna, Prem Nagar, Tikkari Nala, Khagna, Chaukia, Bamrar, Jarait, Bodhana, Riuni, Chambi, Tikkari via Reuni, Khagna via Reuni, Chopal to Chapandli via Thanadhar, Chopal to Painsa Kuffer via Chapandli, Chopal to Chilla via Thanadhar, Chopal to Kumbra (Lower Dewat) via Dewat.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Shantha, Khail, Chanjhalpul, Rawtan, Shanag, Khokha, Khaddar, Lalpani, Neoti Maraog, Badlawag, Nanahar, Flauna, Jhina, Pujarli, Lohna, Kanbag, Patauna, Badog, Kujvi, Pehlog, Chauth, Ghareen, Mashron, Rewalpul, Bhabar, Lani, Bamta, Kiarnoo, Raanvi, Nerwa, Shikyar, Ranakyar, Rinjat, Sarain, Laget via Gagna, Stall via Chambi, Anuu via Khagna. Civil Hospital Nerwa, Chopal to Lakhawati via Neoti. Chopal to Shilan via Kiyarinala, Chopal to Dakona via Kiyarinala, Chopal to Kiyari via Kiyarinala, Chopal to Shilan via Kiyarinala, Chopal to Dakona via Kiyarinala, Chopal to Kiyari via Kiyarinala, Chopal to Pauriya via Ranvi, Chopal to Bagna via Thekra, HPSCSC Chopal Gas Agecy to Harija Basti Sihana via Kurag, Chopal to Lower Garah via Nerwa.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Koti-Sarain, Dhawandli, Ruslah, Ligzar, Diandli, Bagna, Thekra, Chayama Shwala, Kihri, Naodhar, Kedi, Silori, Bijmal, Dwada, Bharanu, Banipul, Batera, Manu-Bhabia, Jhokad, Kafrona (Vil Lani), Chopal to Shilikayan via Dofti, Chopal to Pauriya via Ranvi, Chopal to Pauriya via Ranvi, Chopal to Jubbar via Ghichana, Chopal to Kurag via Ghareen, Chopal to Shodi Kenchi via Ghreen. Chopal Koti via Marog, Chopal to Bajathal via Uppar Garah, Chopal to Dhar via Nerwa Kanahal, Chopal to Bajhatal via Kanhal.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Matal, Deiya, Mundli, Mindochli, Bhoot, Minda, Mashrain, Sunogdhar, Shamtha, Shattal, Irra, Tandori, Fedizpul, Dhotali (Balli), Kaloon via Shapra, Chopal Gas Agency to Chinog. Chopal Gas Agency to Chour, Chopal to Rewati via	23.00	46.00	Focal Point

		Naodhar.			
		7. Dhanat, Hirah, Kutangan, Lachhog, Pauria, Poran, Potnari, Rohana, Tharoch, Bharan, Tikkari, Gurthi, Janog, Antrawali, Gumma, Shallan, Aar, Mandhana, Paban, Chopal Gas Agency to Sarach via Tharoch, Chopal to Auli via Naodhar, Chopal to Auli via Navi, Chopal to Bharmana Mokna via Tharoch.	27.00	54.00	Focal Point
		8. Sainjkhad, Guinchar, Chopal to Thangar via Fedij, Chopal to Maneoty via Tikkar Dhanat, Chopal to Dhar via Kimaha, Chopal to Dharchandna via Kularlani.	31.00	62.00	Focal Point
		9. Bawat, Dharchandna, Massarah, Gaonkhar.	31.00	62.00	Focal Point
18.	M/S. Rampur Indane Gas Agency, Dakolar, Rampur.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. BADHAWALI, KUMSU, TAKLECH, KHOPRI, ANURAKSHI.	14.00	28.00	Focal Point
		4. KHANEWALI, CHALLAWAT, KAMLAHU, Dhar, Makdoli, Shandal.	17.00	33.00	Focal Point
		5. DEVNAGAR, BARACH, SHOLI, THALI CHAKTI, DELATH, KRANGALA, CHUNJA, KALEDA MAJHEWATI, LAILAN, CHALLAN DEOTHI, PUNNA (KASHAPAT), Aundi Janai, Kandi (Kashapat).	19.00	38.00	Focal Point
		6. BAHLI, NEHRA, NARAIN, MUNISH BAHLI, SURAD BANGLA, KANDRERI, KUHAL PATAINA, PAYEE, GINCHA, SHINGRAL KASHA.	23.00	46.00	Focal Point
		7. DARKALI, SHARAN JARASHI, TALAI.	27.00	54.00	Focal Point
19.	HPSCSC Chirgaon.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		4. Ranol, Jabal, Gwas.	17.00	33.00	Focal Point
20.	HPSCSC Bhattakufer	1. MC Area Shimla Home Delivery including Malyana, Bhattakufer.	28.00	55.00	Door Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Baldyan, Sadhoda, Cregnano and Tarapur, Kufri and Chini Banglow And Charabra, Ram Nagari, Patgehar, Chamiyana, Bachail, Shurala, Katyan, Sipur, Mashobra, Lambidhar, HIPA And Lawn, Jubbaridhar, Naldehra, Durgapur, Bhattakuffer to Chakrail(Village Road), Bhattakufer to Jagroti, Bhattakufer to Seepur.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Ghodna, Manla, Seon, Mohanpur, Chanal and Dhar, Patengli, Moolkoti, Ghreach Bhattakuffer to Mannar.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Kot, Sonthal, Banish, Bhajyar, Pipli, Dhar, Kanohar Nala.	19.00	38.00	Focal Point

		6. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Focal Point
21.	HPSCSC Shoghi Gas Agency	1. Railway Station Tara Devi, Lagdhu, Shaklech, Shoghi, Housing Board, Jadhyal, Shamleeg to Joyeda.	14.00	28.00	Focal Point
		2. Chamrog, Phayal, Shageen, Basha, Kethlight, Aandpur, Kot, Goro, Kelawan, Sari, Salana, Nagroti, Laga, Kot-Kador, Rampur Keonthal, Hanuman Mandir, J.P University, Charoli, Yan, Knechi, Kakret, Patiyud.	17.00	33.00	Focal Point
		3. Totu, Banuti, Ghanahatti, Shilgaon, Kayari, Geha.	19.00	38.00	Focal Point
		5. Door Delivery (Shoghi) Mother Point.	16.00	32.00	Door Step Delivery
		6. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
22.	Leela Indane Gramin Vitrak Pamlahi Kotgrah, Kumarsain.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Kofrdhar, Mailan, Socity, Bhereridhar, Banot, Rogha, Kotgarh, Kofni, Mangsu, Dalan, Serti, Virgarh, Shawat, Jarol, Pari, Khaneti School, Tikkar, Bahali, Village Bahali, Bhutti, Bhargaon, Bankoti via Sarroga.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Shamthla Village, Kanda Rewari, Bherakhad, Senj, Bithal, Shathla, Saroga, Thanendher, Bankoti, Pamlahi, Bhaira khad and kanda.	17.00	33.00	Focal Point
23.	M.S. HPSCSC Jubbals gas agency	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. MANDHOL, SARI, KHARAPATHAR, GHYAN, MANDRSA, ANTI, MADHAIK, RAIKA, HATKOTI, SAROT, BHAJANU, SARSWATI NAGAR, BHAROT, SAROT, GHUNSA, RAWIN, BATHAH, NAC JUBBAL, OLD JUBBAL, KAINA, DEEM, SALOKRA, DOCHI, DHAR, SUNDLI, PROUNTHI, ASTANDALI, CHIWA, NEHNAR. KAIRI. Katarla via Mihana-Shobha, Badi via Cheewa Kenchi, Majhgaon Bhauwan, Jubbals to Shoba, Jubbals to Pokhri, Ghehli, Jhalri, Jachli, Batar via Kaladhank, Baina.	14.00	28.00	Focal Point
		4. JHALRI, SHEELGHAT, BARTHATA, BADHAL, KATHASU, BATTAR, NANDPUR, RUHILDHAR, SHALAR, TURAN, UPPER PREM NAGAR, DHADI PANTA, SHEKHAL, SANEL, KUDDU, SOJLA, SANOLI, BHOLAR NALA, THANA, DAKHRANTU, CHOUNRI, KHARSHAL, KATHANG, SHAMOT, DHADI RAWAT, Uppar Ram Nagari via Bholad- Nallah, Dhansar, Bholar via Utrol Kandi Bahali, Salna, Bakhulty Dhadi, Sarahni Jubbar Barthata-1.	17.00	33.00	Focal Point

		5. DADOT, PANDRANU, CHAJPUR, SANSONG, SARAJI, NALIYAN, RAM NAGARI, MANDAL, JHAGTAAN, BHOLAR, POKTA, ROHTAAN, JHALTA, Baga Sharai, DHANSAR, GILTARI, PATALA, Mandru via Jarla, Chatnol via Mandal, Virkoti via Mandal. Salna, Chidol, Bethada, Mukam Khad via Rohtan.	19.00	38.00	Focal Point
		6. SAINJ, JHARASHALI	23.00	46.00	Focal Point
		7. SOLANG, SASKIR, SAMTA	27.00	54.00	Focal Point
24.	M.S. Jai Maa Tara Gas Agency Kotkhai	1. Door Delivery (Mother Point) NAC	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point Delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Koti, Khaneti, Bagahar, Chunni, Kiari, Tahu, Domehar, Chalnair, Nihari, Hulli, Kothi, Gumma, Bagra. Rauni, Darbar, Tehtoli, Bajoha, Tharola, Padara, Diwandli, Kathandi Nala, Marathu, Kupri Nala, Pujali, Jubbal Road Choll, Kujubbar, Deori.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Chaithla, Garaog, Gazta, Darkoti, Chaindel, Jhandoli, Bakhol, Mahasu, Badruni, Pungrish, Pandli, Kanwar Bag, Mahasu, Panog, Nehra, Bareon, Ghassi gaon, Dhanroti, Melath via Gumma.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Bahli Dhar, Kuffer bag to Shakit Nagar, Serti, Bagian Jubber, Lower Galeha, Bareon Ghat, Ram Nagar, Khaltu Nala, Deem, Devgarh, Beon, Jashla, Chaknoti, Alawong, Tamnoti, Dakahal, Dhalli, Rukhla, Keeth, Chadiyana, Nagan, Khola, Kuinal, Khalana, Purag, Aadharsh Nagar, Chole, Himri, Jhangroli, Dhakal via Neraghati, Kawalta, Gadhari via Melath, Reoth.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Reoghati, Kuffar Bag, Reog, Panaili, Kalbog, Bedar, Bhog, Nehra Ghati, Gowach, Vikasnagar to Chuila, Jarahi to Oddi, Shivpuri via Kalbog.	23.00	46.00	Focal Point
		7. Kiarvi, Pujali, Satraal, Bral, Baghal, Chaunri, Govindpur, Chaugan, Mail-1, Mail-2, Galeha.	27.00	54.00	Focal Point
25.	MS. Sarahan Indane Gas Agency Sarahan.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point Delivery, Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Sarahan, Kaley, Ghrat, Bonda, Bthara, Majgoun, Deu, Thada, Maguni, Kinnu, Pithvi, Rangori, Kurgu, Chnach, Tyawal, Jeori and Badhal, Nawara.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Runpu, Badi and Bagavth	17.00	33.00	Focal Point
26.	MS. Sanij Indane, Tehsil Theog, Distt. Shimla.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery, Near Godown.	7.00	12.00	Focal Point

		3. Meha, Janahan, Dhar Kalna, Prala, Sainj, Bagri, Tarapul, Kargolinala to Palail Road, Dhalaua, Panenala.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Deogthi, Deha, Mundu.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Kuthar, Kalawan, Baneha, Ghoond, Karhori, Noli, Kashna.	19.00	38.00	Focal Point
		6. Basa Dhar, Tikkar, Kalgaon, Gas Agency Godown Mihana to Shay Kanowri via Badas Pool, Gas Agency Sainj Indain Gas Godown Mihana to Deothi.	23.00	46.00	Focal Point
		7. Chhinkar Dhar, Nauni to Nagan,	27.00	54.00	Focal Point
27.	MS. Sunlight Bharat Gas Agency Jalog Distt. Shimla.	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Galu, Manand, Ogli, Talah, Banuna, Gadheri, Gadahu, Drabla, Drawal, Sal, Kothi, Malgi.	14.00	28.00	Focal Point
		4. Bag, Panewat, Dharogra, Damog, Bharara, Jaishi, Khaira, Himri, Khaneri/Reog, Karyali, Piplughat, Domehar nla, Domehar, Khob, Kadharghat, Shada/ Nalah, Chebri, Bathora, Pandoa.	17.00	33.00	Focal Point
		5. Majhiwar, Jajehar, Notikhad, Gumma.	19.00	38.00	Focal Point
28.	MS. Khangta Indiane, Sub-Tehsil Tikkar, Tehsil Rohru, Distt. Shimla	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point Delivery, Near Godown.	7.00	12.00	Focal Point
		3. Gujandil, Daroti, Kashaini, Hanstari, Dhanoti, Khalawa, Thana, Sharontha, Narain, Farog, Pujarli-3, Batara, Naksetary, Kharala, Ramteri, Khalai, Badshal, Garot, Harijan Basti Ghor, Dhawana to Rafer (Rapad), Narain to Harijan Basti Ghor, Umladwar (by Deorighat), Ghasni, Khalgar, Tutupani, Jarala, Lambidhar, Karali, Khatal.	14.00	28.00	Focal Point
		Nalaban and Kuthari.	17.00	33.00	Focal Point
29.	MS. Nagta Bharat Gas Nerwa Tesil Chopal, Distt. Shimla .	1. Door Delivery (Mother Point)	16.00	32.00	Door Step Delivery
		2. Focal Point delivery Near Godown	7.00	12.00	Focal Point
		3. Nerwa, Dwadda, Kuthar, Bharanoo, Mashrain, Bani, Batera, Manu, Bhoot, Huin, Thiyara, Pandrada,	14.00	28.00	Focal Point

		Nawi, Tharoch, Kutangan, Sananu, Potnari, Irra, Janog, Tikkari, Shamtha, Chanjan, Shatal, Aar, Kandal, Fediz, Dyandali, Dhadu, Lalpani, Nakrapul, Jhiknipul, Bag, Rusial.			
		4. Podan, Pauria, Madhana, Dhanat, Nirah, Hallau, Antravli, Gumma, Rohana, Rinjat, Beiya, Dhabas, Khagana, Cninjalpul, Bhabar, Kyarnu, Dhyandall, Devidhar, Khokha, Ghilar Dhar.	17.00	33.00	Focal Point

OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. The LPG domestic cylinder (10kg & 14Kg) will be supplied by door step delivery at urban areas *i.e.* District Shimla and at Focal Points in the rural areas.
2. All the Gas Distributors shall issue cash-memo to every consumer showing complete name, address, Consumer Number & Sale Price indicating RSP and extra cooliage seperately and retain duplicate copy of the cash-memo for inspection. All distributors shall also make entry of issued refill in DGCC (Blue Book) of consumers.
3. All the Gas Distributors shall not pressurize the consumers to purchase other equipments *i.e.* Gas Stove while issuing new Gas Connection and shall issue Gas Connection on priority basis.
4. Every distributor shall display the daily stock position/Price of the LPG refills on the conspicuous place of the Gas Agency and Storage Point.
5. Every Gas Distributor shall ensure to book the refills by SMS, Online, Telephonically as well as all other prevailing modes.
6. The LPG distributor shall not charge more than the price/cooliage fixed by the District Magistrate, Shimla. The rates of Door Step Delivery shall be charged only when door step delivery is made. In rural areas where the distance of locality is greater, there will be focal point for distribution of LPG refills at place suitable to the consumers of the respective area.
7. The LPG distributor shall ensure to maintain the proper record of the receipt and distribution of the LPG refills and produce before the Inspecting Authority on demand.
8. The LPG Distributor shall also ensure to supply LPG refills to the consumer on the terms and conditions/ Jurisdiction laid down by the concerned Oil Marketing Company (OMC) and also ensure that the refill supplied to the consumer is having standard weight, sealed and equipped with safety cap and for these purposes weighing scale be kept in every delivery van.
9. The LPG distributor shall also ensure immediate Redressal of complaint lodged by the consumers for leakage and other reasons without further loss of time and render the services of a trained mechanic free of cost keeping in view the security measures.
10. Every distributor shall also ensure to furnish monthly report immediately at the end of every month or as and when required by the District Controller, Food Civil Supplies & Consumer Affairs, District Shimla in respect of receipt and sale of LPG cylinders as well as number of consumers registered with agency.
11. During the period of shortage of LPG refills, the distributor shall distribute LPG refills to the consumers on the direction of the District Magistrate, SDM, District Food & Civil Supplies Controller, Shimla and

concerned Inspector Food Civil Supplies & Consumer Affairs. The dealer shall keep 25 LPG cylinders in Godown as reserved stock at every time which will be distributed only as per the direction of the concerned SDM and area Inspector, FCS CA.

12. Every LPG dealer will allow cash and carry rebate of Rs. 39.65 for 14.2 Kg. and Rs. 20.61 for 10 Kg cylinder on every refill to the consumer when the refill is received from his Godown or Showroom on the explicit request (undertaking) of the consumer /customer.
13. Every LPG dealer will supply LPG refills to the consumers strictly as per area of operation fixed by the Oil Marketing Companies. Any deviation will be made only with the prior approval of the DC/ Distt. Controller, FCS & CA Shimla and concerned Sales Manager of the Oil Company.
14. Every Distributor shall ensure Public Announcement system (Loud Speaker), Weighing Machine, Gas Leakage Detector Device and Laminated copy of Route Chart as well as latest RSP on delivery vehicles.
15. All the SDMs are required to make distribution charts of their respective area according to the Route Chart and also publish the same in local newspaper for the convenience of general public.
16. Additional Transportation Charges will remain in force till the further orders are made while MSP may vary automatically as and when OMCs will make the change in RSP.
17. These additional cooliage charges are including GST as applicable
18. No new rates will be fixed for supply of cylinders to newly proposed focal points falling within a radius of 5 KM from old focal points. The approved Labour /Transport Rates of old focal points will continue to apply for those newly added focal points.
19. All agencies must strictly comply to rates notified and shall submit their updated route chart to the office of the District Controller, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Shimla, Distt Shimla and also ensure to display same at showroom within seven days of this notification.
20. Any contravention will be viewed seriously and action under section 3/7 of the Essential Commodities Act, 1955 shall be taken against the defaulters.

Sd/-
(ANUPAM KASHYAP) I.A.S.,
District Magistrate, Shimla, District Shimla.

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-9, 5th March, 2025

No. PCH-HA(1)/2020-P.S-I/580523/2025.—Inpartial modification of this department Notification of even number dated 11-12-2024, the Governor of Himachal Peadesh is pleased to notify the name of Panchayat Samiti “Tilordhar” , may be as “Kamrau at Tilordhar”.

By order,

Secretary (Panchayati Raj).

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक 03 मार्च, 2025

सं०: विस०-विधायन-शून्यकाल/1-95/2024.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 346 के अनुसरण में अध्यक्ष ने अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदन में शून्यकाल आरम्भ करने का निर्णय लिया है। जिसके लिए विनियमित प्रक्रिया एवं नियमावली निम्न प्रकार से है। इस सन्दर्भ में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को अधिसूचित शून्यकाल के निर्देशों का निरसन किया जाता है। अब "शून्यकाल" इन निर्देशों के अधीन विधिमान्य रहेगा।

- जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे सदन में तत्काल सार्वजनिक लोक महत्व के मामले उठाएं; जनता की शिकायतों को व्यक्त करें और उनका निवारण करवाएं; सरकार से सूचना प्राप्त करें और विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- शून्यकाल में उठाया जाने वाला विषय उन तथ्यों एवं समस्याओं से सम्बन्धित होना चाहिए जो सदन में सत्र के दौरान दिन का कार्य समाप्त होने के बाद तथा सदन की बैठक पुनः समवेत होने के पहले घटित हुआ हो।
- ऐसा विषय सदस्यों की निजी जानकारी पर अथवा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित होना चाहिए। यह सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों से सीधा सम्बन्ध अवश्य रखता हो अथवा उनसे जुड़ा हुआ हो।
- शून्यकाल को प्रश्नकाल की समाप्ति और दिन के कार्य के लिए सूचीबद्ध किये गये मदों को लेने के बीच के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य-दिवस में प्रश्नकाल के पश्चात् 20 मिनट का समय शून्यकाल होगा।
- शून्यकाल के दौरान लोक महत्व/जनहित मामले उठाने के लिए, सदस्यों को बैठक के प्रारम्भ होने से 01.30 घण्टा पूर्व सचिव, विधान सभा को लिखित या ऑनलाईन माध्यम से सूचित करना होगा। जिस दिन वे शून्य काल के दौरान कोई विषय उठाना चाहते हैं।
- प्राप्त नोटिस/विषय को विधान सभा सचिवालय द्वारा बैलट की प्राथमिकता के अनुसार हर दिन 10 विषयों को शून्यकाल के दौरान उठाने की अनुमति दी जा सकेगी। जिनका अध्यक्ष महोदय द्वारा क्रम निर्धारित किया जायेगा।
- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो विषय बैलट की प्राथमिकता में आए हो, उन्हीं विषय को सदस्य सभा में उठा पाएंगे।
- बैलट की प्राथमिकता अनुसार प्राप्त विषयों को तुरन्त प्रभाव से सम्बन्धित विभागों को Online माध्यम से आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाएगी।
- उपर्युक्त मामलों में अध्यक्ष, मन्त्री परिषद् के सदस्यों को उत्तर देने के लिये कह सकेंगे। यदि संबंधित मंत्री के पास सूचना उपलब्ध है तो वह उठाए गए मामले पर उसी समय जवाब दे सकते हैं, अन्यथा मंत्री द्वारा जल्द से जल्द सम्बन्धित जवाब सदस्य को उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। ऐसे विषय पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा।
- माननीय सदस्य विषय पर सीमित रहकर 2-3 मिनटों में अपनी बात रखेंगे। माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर उपरान्त कोई भी अनुपूरक चर्चा नहीं होगी।

दिन के लिए एक सदस्य से एक ही प्रस्ताव या सप्ताह में तीन से अधिक विषय नहीं उठायेंगे। निश्चित समयावधि के उपरान्त प्राप्त नोटिस/सूचनाएं आगामी दिन की बैठक के लिए प्राप्त हुई समझी जाएंगी।

- सप्ताह में जिन सूचनाओं को स्वीकृत नहीं किया जायेगा वे सभी व्यपगत हो जाएगी। परन्तु विभाग को प्रेषित सूचनाएं व्यपगत नहीं होगी, जब तक उन्हें अन्तिम रूप से न निपटाया जाए।
- सप्ताह में सभा की अन्तिम बैठक के दिन 9.30 बजे के पश्चात् प्राप्त सूचनाएं अगले सप्ताह की बैठकों के लिए वैध होंगी।
- माननीय सदस्य जिस विषयों को सदन में उठाना चाहते हैं उसी विषय पर अपनी बात व्यक्त करेंगे
- शून्य काल नोटिसों की ग्राह्यता:—
 1. उसमें ऐसे विषयों का उल्लेख होगा जो मुख्य रूप से प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हों
 2. किसी मामले की गंभीरता, महत्व और तात्कालिकता विशेष उल्लेख के दौरान उसे उठाने के लिए मुख्य मानदंड होने चाहिए।
 3. सदस्य कोई मामला उठाने के लिए तभी नोटिस दे सकता है जब प्रासंगिक समय पर उसके पास सरकार का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए कोई अन्य विकल्प उपलब्ध न हो।
 4. नोटिस का पाठ अधिकतम 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए
 5. उसमें ऐसे विषय का उल्लेख नहीं होगा जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो या सत्र के दौरान अन्य नियमों में चर्चा होने की सम्भावना हो।
 6. अध्यक्ष बिना कारण बताये किसी सूचना को अस्वीकार या स्वीकार कर सकेंगे
 7. प्रश्नों तथा ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की ग्राह्यता से सम्बन्धित नियम, यथासंभव शून्यकाल में उठाये जाने वाले विषयों पर भी लागू होंगे।
 8. शून्यकाल के लिये किसी सूचना को अल्प सूचितप्रश्न या तारांकित प्रश्न या ध्यानाकर्षण या विशेष उल्लेख प्रस्तावों में परिवर्तित करने के आदेश दे सकेंगे और यदि वे ऐसा निर्णय देते हैं तो सूचना देने वाले सदस्य को इस सम्बन्ध में अलग नियमित रूप से कार्रवाई करने के लिए कह सकेंगे।
 9. एक नोटिस में एक से अधिक विभागों के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा
 10. उसमें तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियाँ, आरोप, व्यक्ति विशेष या मानहानि, न्यायालय के विचाराधीन, कथन नहीं होंगे।
 11. उसमें विधान सभा सचिवालय/विधान सभा समिति/अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार की कार्यवाही का उल्लेख नहीं होगा।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

NOTIFICATION

Dated, the 3rd March, 2025

No. V.S.-Legislation-Zero Hour/1-95/2024.—In pursuance of Rule, 346 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, the Speaker has exercised his residual powers to start "Zero Hour" in the House. The earlier Notification dated 10th December, 2024, regarding "Zero Hour" stands annulled. Henceforth, "Zero Hour" shall be considered valid under these directives. The regulated procedure and rules for "Zero Hour" are as follows:—

- As representatives of the Public, it is the duty of the Hon'ble Members to raise matters of immediate public importance in the House, express public grievances and seek their redressal in the House, obtain information from the Government, and ensure executive accountability towards the Legislature.
- The matter raised during "Zero Hour" must relate to the facts and issues that have occurred after the conclusion of the day's proceeding and before the House reassembles during Session days.
- Such a matter should be based on the Member's personal knowledge or as per reports published in Newspapers. It must have a direct connection with matters of Public importance or be closely related to them.
- "Zero Hour" is defined as the interval between the conclusion of Question Hour and the commencement of the listed agenda items for the day. During the Session, 20 minutes will be allotted for "Zero Hour" after Question Hour on each working day.
- For raising matters during the "Zero Hour", Hon'ble Members are required to give notice in writing or through online mode to the Secretary, Vidhan Sabha, atleast 1.30 hours before the commencement of the sitting on that day.
- The Legislative Assembly Secretariat will allow 10 subjects to be raised every day during "Zero Hour" as per the priority of the ballot notices/ subjects received. The order of which will be decided by the Hon'ble Speaker.
- Only those subjects which have come in the priority of the ballot will be raised by the members in the House with the permission of the Hon'ble Speaker.
- The subjects received as per ballot priority will be immediately sent to the concerned departments through online mode for further action.
- The matters so raised, the Hon'ble Speaker can ask the Council of Ministers to reply. If the concerned minister has the information available, then he can reply to the matter raised immediately, otherwise the minister will provide the relevant reply to the member as soon as possible. There will be no debate/discussion on such a matter.
- The Hon'ble members will present their views within 2-3 minutes, limiting themselves to the subject. There will be no supplementary discussion after the Hon'ble Minister's reply.

-
- A member will not raise more than one motion for the day or more than three subjects in a week. Notices received after the stipulated time period will be deemed to have been received for the next day's sitting.
 - All the notices which have not been accepted within a week will lapse. But the notices sent to the department will not lapse until they are finally disposed off.
 - Notices received after 09.30 am on the last sitting of the House in a week will be valid for the sitting of the next week.
 - Hon'ble members will express their views only on those topics/subjects which they wish to raise in the House.
 - Admissibility of Zero Hours notices:—
 1. It shall mention such subjects which primarily fall under the jurisdiction of the State Government.
 2. The gravity, importance and urgency of the matter should be the main criteria for raising.
 3. A member may give notice to raise a matter only if at the relevant time he has no other option available to draw the attention of the Government to the matter.
 4. The text of the notice shall not exceed maximum of 50 words
 5. It shall not mention any matter which has already been discussed in the same session or is likely to be discussed under other rules during the Session.
 6. The Speaker may reject or accept any notice without giving any reasons
 7. The rules relating to admissibility of questions and calling attention motions will be applicable to matters raised during "Zero Hour "as far as possible.
 8. The Speaker may order that a notice for Zero Hour be converted into a Short notice question, Starred question, Calling attention or a Special mention motion. If Speaker decides so, he may ask the member giving the notice to take separate regular action in this regard.
 9. Issues of more than one department will not be raised in one notice
 10. It shall not contain arguments, conjecture, sarcastic expression, allegation, defamation of any particular person, sub-judice matters.
 11. It shall not mention the proceedings under the jurisdiction of the Legislative Assembly Secretariat/Legislative Assembly Committee/ Speaker.

Sd/-

(YASH PAUL SHARMA),
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th March, 2025

No. PWD-(B)-F0(5)/9/2024.—In continuation to this Department Notification of even number dated 14-01-2025 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "Patka to Dalhousie Road (Portion Patka to Chowari)" in District Chamba, H.P. having length of 33.000 km. as Major District Road No. 130 at Sr. No. 121.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 4945.230 kms.

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary (PW).

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 फरवरी, 2025

सं० 1-60/69-फिन (एल० ए०) खण्ड-20-1068.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग के निम्न तालिका में दर्शाए गए अधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होंगे:—

क्र० सं०	नाम तथा पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1.	श्री चेत राम ठाकुर, सहायक नियन्त्रक	30-06-2025
2.	श्री दीवान चन्द, संयुक्त नियन्त्रक	31-07-2025

हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (वित्त)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अनीता देवी पत्नी प्रवीण कुमार, निवासी गांव व डाकघर कोटला, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम अनीता देवी है। जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व स्कूल सर्टिफिकेट में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल नैनीखड़ जरेई में गलती से अनीता देवी दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 29-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अमरा देवी पत्नी दुरगेश आनंद, निवासी गांव चलामा, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम अमरा देवी है। जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत चलामा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भरमाला में गलती से अमृता दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26-03-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Sh. Anil Kumar Bhardwaj, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.)**

In the Matter of :

1. Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Kesru Ram, r/o Village Choura, P.O. Sherpur, Tehsil Dalhousie, District Chamba, H. P., age 32 years.

2. Subha Hansdah d/o Sh. Sushil Kumar Hansdah, r/o E-87, Amrapail, Modern Township, Rao, P.O. Rao, District Indore (MP) age 37 years . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Application for the Registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Sh. Jagdish Chand and Subha Hansdah have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 11-07-2024 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 19th March, 2025. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Seal.

Sd/-
(ANIL KUMAR BHARDWAJ),
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H. P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.)

Kamal Kishore s/o Sh. Jaram Singh aged 30 years, resident of Village Kudhar, P.O. Dradha, Tehsil & District Chamba (H.P).

and

Ranjana Kumari d/o Sh. Narain Singh, resident of Village Shaktidehra, P.O. Sidhkund, Tehsil & District Chamba (H. P).

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 19-07-2024 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 02-04-2025. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on 1st March, 2025.

Seal.

Sd/-
(PRIYANSHU KHATI, IAS.),
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री तरसेम चन्द, निवासी गांव व डाकघर गुरियाल, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रमेश शर्मा पुत्र श्री तरसेम चन्द, निवासी गांव व डाकघर गुरियाल, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी
की मृत्यु 02-09-2011 को गांव गुरियाल, डाकघर गुरियाल, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0) में हुई है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था, जिसे वह अब
ग्राम पंचायत गुरियाल के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को
उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-3-2025 को प्रातः
10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने
की सूरत में मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत गुरियाल के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर
दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

श्री राज कुमार पुत्र चौधरी राम, निवासी गांव नोलाड़ी, डाकघर तलाड़ा, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राज कुमार पुत्र चौधरी राम, निवासी गांव नोलाड़ी, डाकघर तलाड़ा, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 10-04-1970 को गांव नोलाड़ी, डाकघर तलाड़ा, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था, जिसे वह अब ग्राम पंचायत डाक के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-3-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सुरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत नोलाड़ी के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

श्रीमती विमला देवी पुत्री दलीपो, निवासी गांव नररूंह, डा0 परौल, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती विमला देवी पुत्री दलीपो, निवासी गांव नररूंह, डा0 परौल, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1948 को गांव नररूंह, डा0 परौल, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में हुआ है जिसे उसका परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था, जिसे वह अब ग्राम पंचायत लरूंह के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-3-2025 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सुरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत लरूह के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Mahesh Kumar s/o Punnu Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Mahesh Kumar s/o Punnu Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके brother Rajesh Kumar s/o Punnu Ram का जन्म/मृत्यु दिनांक 11-03-1975 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Rajesh Kumar के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Mahesh Kumar s/o Punnu Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Mahesh Kumar s/o Punnu Ram, r/o Village Jadrangal, P.O. Kardiana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self Mahesh Kumar s/o Punnu Ram का जन्म/मृत्यु दिनांक 04-08-1977 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Mahesh Kumar के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024

Sh. Santokh Singh s/o Bela Singh, r/o Tika Bani, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Santokh Singh s/o Bela Singh, r/o Tika Bani, P.O. Yol, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके son Lakhbir Singh s/o Santoh Singh का जन्म/मृत्यु दिनांक 03-06-1986 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस इश्तहार राजपत्र/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lakhbir Singh के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 22-03-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Sh. Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa, r/o V.P.O. Khaniayra, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh. Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa, r/o V.P.O. Khaniayra, Tehsil
Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि
उसकी self Naveen Kumar Thapa s/o Achhar Singh Thapa का जन्म/मृत्यु दिनांक 14-08-1968 को
हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने
के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुस्तरी मुन्यादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित
सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Naveen Kumar Thapa के जन्म/मृत्यु
पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 17-03-2025 को
असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र
जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

केस नं0 : 74/23/तेह0

तारीख पेशी :

श्रीमती रिम्मी अरोड़ा पुत्री वेद प्रकाश, निवासी गांव सोकनी-दा-कोट, तहसील धर्मशाला, जिला
कांगड़ा हि0 प्र0 प्रार्थिया।

बनाम

1. बहादुर सिंह Through LRS (I. बहादुर सिंह, II. विशन दास, III. श्रीमती देई देवी, IV. गुड़ो देवी, V. सुतो देवी, VI. सलोचना देवी पुत्रियां श्रीमती सुकों) 2. श्रीमती सोना देवी पुत्रियां व 3. सुभाष चंद, 4. सुदेश कुमार, 5. बिहारी लाल 6. राज कुमार पुत्र रौनकी, 7. पंजाब सिंह, 8. श्रीमती कंचना कुमारी, 9. कुमारी पवना पुत्रियां, व 10. श्रीमती ब्रह्मी देवी विधवा छांगा राम, 11. देश राज पुत्र व 12. श्रीमती निममो देवी, 13. श्रीमती कांता देवी, 14. श्रीमती लजया देवी, 15. जनमू देवी Through LRS (I. सीता देवी, II. निममो देवी, III. कांता देवी, IV. लजया देवी पुत्रियां जनमू देवी) 16. सीता देवी विधवा रिझा, 17. सुदेश कुमार, 18. सावित्री देवी, 19. अर्चना देवी, 20. राज कुमारी पुत्रियां व 21. कमलों देवी विधवा पीजा, 22. सतीश कुमारी, 23. अशोक कुमार पुत्र व 24. श्रीमती चीना देवी पुत्री व 25. श्रीमती देई विधवा चौकस, 26. भुजला देवी Through LRS (I. संध्या देवी, II. जैफली देवी, III. कुता देवी, IV. सलपोचना देवी, V. वीना, VI. सीना, VII. रेखा देवी पुत्रियां व VIII. भगवान दास पुत्र भुजला देवी) 27. कांता देवी, 28. सलोचना देवी पुत्रियां, 29. रोंगला देवी विधवा पुनु राम, 30. पूर्ण चंद, 31. रमेश चंद पुत्र व 32. श्रीमती निर्मला देवी, 33. रीना, 34. कुमारी शकुंतला देवी पुत्रियां व 35. नाथु देवी विधवा सहदेव, 36. होशियार सिंह Through LRS (I. साहिल कुमार, II. राहुल कुमार पुत्र व, III. प्रिया देवी, IV. रोंगलू देवी विधवा होशियार सिंह) 37. जगदीश चंद, 38. छांगा राम, 39. भागो देवी, 40. कुमारी रीना, 41. मिसरो देवी, 42. मनकु, 43. नन्द लाल पुत्र मेहता, 44. चौकस Through LRS (I. कांता देवी, II. पिकी देवी पुत्रियां व III. सुभाष चंद, IV. उत्तम चंद, V. मिलाप चंद पुत्र चौकस राम) 45. मनगट राम, 46. अशोक कुमार, 47. कुलदीप चंद पुत्र व 48. कुमारी लजया देवी पुत्री व 49. निममो देवी विधवा रोशन लाल, 50. हंस राज पुत्र व 51. कुमारी सुमना पुत्री व 52. सत्या देवी विधवा छांगा राम, 53. ईश्वर दास, 54. परषोतम लाल, 55. सुरेश कुमार पुत्र व 56. संध्या देवी, 57. कांता देवी, 58. लजया देवी पुत्रियां प्रेम दास, 59. रुहनी राम, 60. सुरिन्दर कुमार पुत्र व 61. गुडो देवी, 62. सलोचना देवी पुत्रियां परमा, 63. पृथिया, 64. चौकस राम, 65. वदरी राम, 66. छांगा राम पुत्र बिशम्बर, निवासी महाल जुहाल, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विषय.—प्रार्थना—पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 7, खतौनी नं0 15 ता 21, खसरा कित्ता 19, रकबा तादादी 00—1—25—10 है0, महाल जुहाल, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मुताबिक जमाबंदी साल 2017—18.

प्रार्थी रिम्मी अरोड़ा पुत्री वेद प्रकाश, निवासी गांव सोकनी—दा—कोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 ने तहसील कार्यालय में तकसीम के केस बारे प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें कुछ प्रतिवादीगण को समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए प्रतिवादीगण को राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 21—3—2025 को असालतन या बकालतन हाजिर अदालत होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व भूमि तकसीम संबंधी तकसीम जारी करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21—02—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप—तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04
04 / RNTK/2025

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
19—03—2025

सुनील कुमार पुत्र मोहिन्दर सिंह पुत्र रेलू राम, निवासी महाल धार, मौजा कोठीवण्डा, उप—तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उनवान : नाम दुरुस्ती हेतु आवेदन पत्र।

प्रार्थी सुनील कुमार ने इस अदालत में अपने पिता के नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र दिया है क्योंकि राजस्व रिकार्ड महाल धार में महिन्दर सिंह पुत्र रेलू राम दर्ज है। जबकि तमाम रिकार्ड में मोहिन्द्र सिंह पुत्र रेलू राम दर्ज है। इस बारे प्रार्थी ने बतौर सबूत पर्चा जमाबन्दी वर्ष 2018-19 महाल धार, आधार कार्ड, पैन कार्ड की प्रति हल्फिया ब्यान साथ संलग्न की है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम महिन्दर सिंह उर्फ मोहिन्दर सिंह पुत्र रेलू राम किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 19-02-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-01-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग एवं तहसीलदार सदर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 4/2021

तारीख मजरूआ : 20-03-2021

तारीख पेशी : 18-03-2025

1. श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री साजू राम, निवासी गांव व डा0 टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 37 ता 38 भू-राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती बारे।

वादी प्रताप सिंह पुत्र श्री साजू राम, निवासी गांव व डा0 टिल्ली, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि मैं उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं। मेरा नाम पंचायत एवं स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेजों में असल व सही नाम प्रताप सिंह है, लेकिन राजस्व कागजात माल में मेरा नाम गलती से बेसर ही लिखा गया है जोकि गलत से दर्ज हुआ है जिससे राजस्व रिकार्ड में नाम भिन्न होने के कारण मुझे बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे मैं अब दुरुस्त करवाना चाहता हूं। जिसे दर्ज करने के आदेश राजस्व मुहाल टिल्ली को जारी किये जावें।

प्रार्थना-पत्र में वर्णित प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आम जनता को गजट राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम श्री प्रताप

सिंह पुत्र श्री साजू राम, मुहाल टिल्ली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह अससालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर/एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त व्यक्ति के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 11-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 0/2025

तारीख मजरूआ : 31-01-2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

रचना देवी पत्नी श्री राजकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

इशतहार मुस्त्री मुनादी/समाचार पत्र बाबत प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में रचना देवी पत्नी श्री राजकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित किया है कि उसकी पुत्री रविता दिनांक 14 अगस्त, 2023 को हुई भारी वर्षा के कारण बादल फटने से घर सहित मलबे के साथ बाढ़ में बह गई थी तथा अथक प्रयास करने उपरान्त भी उसका कोई अता-पता न चल सका है तथा उनका ब्यान है कि उनकी पुत्री रविता की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2023 को भारी वर्षा के कारण बादल फटने से घर के मलबे के साथ पानी में बहने के कारण हो चुकी है। इस आवेदन के माध्यम से प्रार्थिन अपनी पुत्री रविता, निवासी साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त 2023 को अपनी ग्राम पंचायत जागर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

उपरोक्त विचाराधीन मामले में प्रतिवादी आम जनता को इशतहार समाचार पत्र व राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिन की पुत्री रविता पुत्री राजकुमार, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2023 को ग्राम पंचायत जागर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन या वकालतन दोपहर 02.30 बजे मेरे न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(ओम कान्त ठाकुर, भा0प्र0से0),
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उपमण्डल दण्डाधिकारी, उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 0/2025

तारीख मजरूआ : 31-01-2025

तारीख पेशी : 19-03-2025

नितेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि०प्र०) वादीगण।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी/समाचार पत्र बाबत प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में नितेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें वर्णित किया है कि उनकी पुत्री सानिया दिनांक 14 अगस्त, 2023 को हुई भारी वर्षा के कारण बादल फटने से घर सहित मलबे के साथ बाढ़ में बह गई थी तथा अथक प्रयास करने उपरान्त भी उसका कोई अता-पता न चल सका है तथा उनका ब्यान है कि उनकी पुत्री सानिया की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2023 को भारी वर्षा के कारण बादल फटने से घर के मलबे के साथ पानी में बहने के कारण हो चुकी है। इस आवेदन के माध्यम से प्रार्थी अपनी पुत्री सानिया, निवासी साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि० प्र० की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2023 को अपनी ग्राम पंचायत जागर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त विचाराधीन मामले में प्रतिवादी आम जनता को इश्तहार समाचार पत्र व राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री सानिया पुत्री नितेश कुमार, निवासी गांव साम्बल, डाकघर पण्डोह, तहसील सदर, जिला मण्डी, हि०प्र० की मृत्यु दिनांक 14 अगस्त, 2023 को ग्राम पंचायत जागर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने बारे यदि कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-03-2025 को असालतन या वकालतन दोपहर 02.30 बजे मेरे न्यायालय में हाजिर आकर अपना पक्ष लिखित या मौखिक पेश कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
(ओम कान्त ठाकुर, भा०प्र०से०),
उपमण्डल दण्डाधिकारी,
उप-मण्डल सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं० : 09/2025

तारीख मरजुआ : 20-02-2025

तारीख पेशी : 12-03-2025

श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री रतन लाल पुत्र अच्छर सिंह, निवासी गांव निचली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री अमित ठाकुर पुत्र श्री रतन लाल पुत्र अच्छर सिंह, निवासी गांव निचली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 20-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमित ठाकुर है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल निचली गागल में अमित कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व-घोषणा पत्र, परिवार नकल, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल निचली गागल में प्रार्थी का नाम अमित ठाकुर के स्थान पर अमित कुमार उपनाम अमित ठाकुर पुत्र श्री रतन लाल पुत्र अच्छर सिंह, निवासी महाल निचली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 12-03-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 20-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 08/2025

तारीख मरजुआ : 17-02-2025

तारीख पेशी : 12-03-2025

श्री राहुल कुमार पुत्र श्री चन्द्र सिंह पुत्र रेलू, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री राहुल कुमार पुत्र श्री चन्द्र सिंह पुत्र रेलू, निवासी गांव उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 17-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राहुल कुमार है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में राहुल दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व-घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल उपरली गागल में प्रार्थी का नाम राहुल के स्थान पर राहुल उपनाम राहुल कुमार पुत्र श्री चन्द्र सिंह पुत्र रेलू, निवासी महाल उपरली गागल, डाकघर पंजालग, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 13-03-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 17-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

समक्ष तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 12/2025

तारीख मरजुआ : 21-02-2025

तारीख पेशी : 20-03-2025

श्री वीर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री वीर सिंह पुत्र श्री जगत सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) इस ने अदालत में दिनांक 21-02-2025 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जगत सिंह है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल माकन कलां में जफिया दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में अवाहन पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्व-घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल माकन कलां में प्रार्थी के पिता का नाम जफिया के स्थान पर जफिया उपनाम जगत सिंह पुत्र श्री देवी राम, निवासी गांव माकन कलां, डाकघर उटपुर, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 20-03-2025 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 21-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
लडभडोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री अब्दुल मजिद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र सचिव, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0 प्र0 में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री अब्दुल मजिद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी डिनक, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-01-1973 को गांव डिनक, डाकघर कनैड, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राजवीर वर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 /2025

श्री जीमल अख्तर पुत्र अल्लादिता, निवासी गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

Application under section 41 and 42 of registration Act application for registration of will executed by Rajiya.

मुकद्दमा उनवानवाला में प्रार्थी जीमल अख्तर पुत्र अल्लादिता, निवासी गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अपनी बहन रजिया पुत्री अल्लादिता, निवासी मुहाल भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी द्वारा की गई अपंजीकृत वसीयत को पंजीकृत करने बारे आवेदन-पत्र दायर किया है। उक्त मुकद्दमा में अगर किसी व्यक्ति को उजर/एतराज है तो इस इश्तहार मुश्री मुनादी से सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय में दिनांक 12-03-2025 से पहले या उक्त दिनांक को एतराज पेश कर सकते हैं।

अतः इस इश्तहार मुश्री मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी करने हेतु दिनांक 12-03-2025 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 24-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री सतार अहम्मद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी मोहाल डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बराये कागजात माल में प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारे, ग्राम पंचायत डुगराई।

श्री सतार अहम्मद पुत्र श्री शौकत अली, निवासी मोहाल डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी का नाम सतार अहम्मद है जो उसकी स्थानीय ग्राम पंचायत डुगराई के रिकार्ड आधार कार्ड, स्कूल रिकार्ड में दर्ज है परन्तु पटवार वृत्त कनैड के वाक्या मोहाल डुगराई/5 में प्रार्थी के पिता के इन्तकाल के समय सहबन गलती से सतार मुहम्मद दर्ज कागजात माल किया गया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्त करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-03-2025 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

**In the Court of Swati Dogra, H.A.S. Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat,
Distt. Mandi (H.P.)**

In the matter of :

Lajya Devi wd/o Late Om Chand, r/o Vill. Chhater, P.O. Bhaderwar, Sub-Tehsil Bhadrota,
Distt. Mandi, H.P. . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondents.*

Proclamation notice under section 8(4) of H.P. Marriage Registration Act, 1996.

Whereas a notice applicant Lajya Devi wd/o Late Om Chand, r/o Vill. Chhater, P.O. Bhaderwar, Sub-Tehsil Bhadrota, Distt. Mandi, H.P. has moved an application before this Court stating therein that marriage of applicant was solemnized with Om Chand s/o Mahant, r/o Village Chhater, P.O. Bhaderwar, Sub-Tehsil Bhadrota, Distt. Mandi, H.P. on 20-05-1984 as per Hindu Rites and Ritual . But the said marriage could not be registered in the record of Gram Panchayat Bhaderwar. Now the husband of applicant passed away. In support of her contention the applicant has enclosed her affidavit alongwith other supportive documents.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection for the registration of aforesaid marriage entry can appear in this court on 18-03-2025 either personally or through an authorized person. No objection(s) will be entertained after the above date and delay for the registration of said marriage and if no objection has been received till the above date the delay for the registration of this marriage will be condoned accordingly.

Issued under my hand and seal of this Court on dated 18-03-2025.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).*

**In the Court of Swati Dogra, H.A.S. Sub-Divisional Magistrate, Sarkaghat,
Distt. Mandi (H.P.)**

In the matter of :

1. Priti Pal Singh s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Talwar, P.O. Chowk, Tehsil Baldwara,
Distt. Mandi, H.P.

2. Joanna Govender d/o Sh. David Dewet, #31 Estuary Drive Riverview, Verulam
Durban, South Africa . . *Applicants.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—An application for Registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas a notice under section 15 of the Special marriage Act has been received today on 20-02-2025 by the undersigned from Priti Pal Singh s/o Sh. Raj Kumar, r/o Village Talwar, P.O. Chowk, Tehsil Baldwara, Distt. Mandi, H.P. (Husband) and Joanna Govender d/o Sh. David Dewet, #31 Estuary Drive Riverview, Verulam Durban, South Africa (wife) to register their marriage under the Act *ibid*.

Hence, this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person have any objection for the registration of the said marriage can appear on 20-03-2025 in this office to object registration of marriage either personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under the Act *ibid* accordingly.

Issued under my hand and seal of this Court on dated 20-02-2025.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Sarkaghat, Distt. Mandi (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum- Sub-Division Magistrate, Shimla Rural,
District Shimla, Himachal Pradesh**

1. Sh. Rajendra Mohan Sood s/o Sh. Mehar Chand Sood, r/o H. No. B-454, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

2. Smt. Usha Sood d/o Sh. Pritam Chand & w/o Sh. Rajendra Mohan Sood, r/o H. No. B-454, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Registration of marriage under section 15 of the Special Marriages Act, 1954.

Sh. Rajender Mohan Sood s/o Sh. Mehar Chand Sood, r/o H. No. B-454, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh and Smt. Usha Sood d/o Sh. Pritam Chand & w/o Sh. Rajendra Mohan Sood, r/o H. No. B-454, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have file application alongwith affidavits in the Court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 03-12-1979 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned /Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, then they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 24-02-2025.

Seal.

Sd/-
Marriage-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural) H.P.

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H.P.)**

Ms. Mamta Devi d/o Lt. Sh. Hari Chand & w/o Sh. Ashok Kumar, Village Chiswa, Uncha Gaon (68), P.O. Kunihar, District Solan.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas Ms. Mamta Devi d/o Lt. Sh. Hari Chand & w/o Sh. Ashok Kumar, Village Chiswa, Uncha Gaon (68), P.O. Kunihar, District Solan place of birth is Village Panti, P.O. Rouri, Tehsil & District Shimla, H.P. filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself Mamta Devi as 20-04-1982 in the record of Registrar, Birth and Death, Gram Panchayat Dudhali, Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Mamta Devi	Self	20-04-1982

Hence, this proclamation is issued to the general public with directions that if any one has objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named person in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Dudhali, Shimla, H.P. he/she may file their claims/objections in the court on or before one month of publication of this notice in Government Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 22-02-2025 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, तहसील अम्ब,
जिला रुना (हि0प्र0)**

श्री योग राज पुत्र शम्भू, निवासी महाल धंधडी, तहसील अम्ब, जिला रुना (हि0प्र0)

वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे।

श्री योग राज पुत्र शम्भू, निवासी महाल धंधडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरी पत्नी भगवती देवी की मृत्यु दिनांक 07-09-2011 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश वह सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके। प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि भगवती देवी पत्नी योगराज, निवासी धंधडी की मृत्यु को पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के लिए सम्बन्धित पंचायत सचिव को आदेश पारित किये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुस्त्री/मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो वह दिनांक 09-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत हो कर पेश कर सकता है। अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती

क्रमांक: / 82 / रीडर-II

दिनांक : 18-02-2025

ज्ञान चन्द पुत्र हुकम चन्द, निवासी महाल वदोली, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

आवेदन पत्र राजस्व रिकार्ड में खाना मालिक खेवट नम्बर 34, जमाबन्दी वर्ष 2018-19, वाक्या महाल चकसराए में बाबत दुरुस्ती छागु पुत्र कांशी राम के बजाये हुकम चन्द पुत्र कांशी राम इन्द्राज करने बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

हर खास व आम जनता को बजरिया मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अनुवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है। जिसमें वादी ने वाक्या खेवट नम्बर 34, जमाबन्दी वर्ष 2018-19, वाक्या महाल चकसराए में बाबत दुरुस्ती छागु पुत्र कांशी राम के बजाये हुकम चन्द पुत्र कांशी राम इन्द्राज करने बारे प्रार्थना-पत्र दाखिल किया है। अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09-04-2025 को दोपहर 02.00 बजे तक या उससे पहले किसी भी कार्य

दिवस पर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 09-04-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा केस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब-तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 07-10-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी जतिन्द्र मनकोटिया पुत्र नरैण सिंह, वासी गांव चटवाना लाहड़ू, तहसील
ज्वाली, जिला ऊना, हि0 प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी जतिन्द्र मनकोटिया पुत्र नरैण सिंह, वासी गांव चटवाना लाहड़ू, तहसील ज्वाली, जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 2019-20 के खाता/खतौनी नं0 396, मिन/460, मिन में जतिन्द्र सिंह पुत्र नरैण सिंह पुत्र लछमण दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। जबकि उसका सही नाम जतिन्द्र मनकोटिया पुत्र नरैण सिंह पुत्र लछमण है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके जतिन्द्र सिंह उपनाम जतिन्द्र मनकोटिया पुत्र नरैण सिंह पुत्र लछमण दर्ज किया जाए। प्रार्थी का नकल पैन कार्ड, नकल आधार कार्ड, नकल मैट्रिक प्रमाण-पत्र, मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुश्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-09-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थी बलराज कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र जैँड, निवासी टक्का, तहसील व
जिला ऊना, हि0प्र0 वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी बलराज कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र जैँड, निवासी टक्का, तहसील व जिला ऊना, हि0 प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल टक्का, उप-महाल संसालानगर, तहसील व जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1985-86 के खाता/खतौनी नं0 535 मिन/730 मिन व 536 मिन/731 मिन में राज कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र जैँड दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। जबकि उसका सही नाम बलराज कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र जैँड है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज कुमार उपनाम बलराज कुमार पुत्र जैसी राम पुत्र जैँड दर्ज किया जाए। प्रार्थी का शपथ-पत्र (ब्यान हल्फी) नकल आधार कार्ड, नकल मतदाता पहचान पत्र, रिपॉर्ट प्रधान ग्राम पंचायत, टक्का विकास खण्ड तहसील व जिला ऊना, नकल विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र, नकल पंजाब नैशनल बैंक पास बुक, नकल राशन कार्ड व ब्यानात वाशिन्दगान देह मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुश्री मुनादी चस्पानगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)

तारीख मरजुआ : 23-09-2024

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया किरण लता पुत्री श्री जसमेर सिंह पुत्र शिवदिता, निवासी बढेड़ा,
तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थिया किरण लता पुत्री श्री जसमेर सिंह पुत्र शिवदिता, निवासी बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि0प्र0 ने इस अदालत हजा में दायर किया है कि उसका नाम महाल बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 2019—20 के खाता नं0 496, 548, 555, 556, 569, 613, 640, 644, 645, 720, 728, 733, 737, 748, 802, 803, 820, 838, 841, 842, 902, 917, 1204, 1215, 1322 कुल 25 खाता में किरण बाला पुत्री जसमेर सिंह पुत्र शिवदिता दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है। जबकि उसका सही नाम किरण लता पुत्री जसमेर सिंह पुत्र शिवदिता है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके किरण बाला उपनाम किरण लता पुत्री जसमेर सिंह पुत्र शिवदिता दर्ज किया जाए। प्रार्थिया शपथ—पत्र (ब्यान हल्फी), नकल पैन कार्ड, नकल आधार कार्ड, नकल मैट्रिक प्रमाण—पत्र, रिपोर्ट प्रधान ग्राम पंचायत बढेड़ा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना मिसल साथ संलग्न है।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन व वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 18—02—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार, भू—व्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Anil Kumar aged 27 years s/o Sh. Parvinder Singh, r/o Village Tyasar, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Palak aged 19 years d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village & P.O. Kariyara, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.)
.. Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Anil Kumar aged 27 years s/o Sh. Parvinder Singh, r/o Village Tyasar, P.O. Lathiani, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Palak aged 19 years d/o Sh. Ramesh Chand, r/o Village & P.O. Kariyara, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) through counsel Sh. Arun Sharma have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three month of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 05-04-2025. The objection received after 05-04-2025 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 21st February, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

CHANGE OF NAME

I, Prem Singh s/o Sh. Sher Singh, r/o Sarkaghat, Jhir, Gehra, Mandi (H.P.) declare that in my PPO No. 231840405696 my wife name is wrongly entered as Sarla Jaswal, whereas her correct name is Sarla Devi. Concerned note.

PREM SINGH

*s/o Sh. Sher Singh,
r/o Sarkaghat, Jhir, Gehra, Mandi (H.P.).*

